Rule 53: Revised tax invoice and credit or debit notes

- (1) A revised tax invoice referred to in section 31 ¹[*****] shall contain the following particulars, namely:—
 - (a) the word "Revised Invoice", wherever applicable, indicated prominently;
 - (b) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the supplier;
 - (c) ²[*****]
 - (d) a consecutive serial number not exceeding sixteen characters, in one or multiple series, containing alphabets or numerals or special characters-hyphen or dash and slash symbolised as "-" and "/"respectively, and any combination thereof, unique for a financial year;
 - (e) date of issue of the document;
 - (f) name, address and Goods and Services Tax Identification Number or Unique Identity Number, if registered, of the recipient;
 - (g) name and address of the recipient and the address of delivery, along with the name of State and its code, if such recipient is un-registered;
 - (h) serial number and date of the corresponding tax invoice or, as the case may be, bill of supply;
 - (i) ³[*****]
 - (j) signature or digital signature of the supplier or his authorized representative:
- ⁴[(1A) A credit or debit note referred to in section 34 shall contain the following particulars, namely:—
 - (a) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the supplier;
 - **(b)** nature of the document;
 - (c) a consecutive serial number not exceeding sixteen characters, in one or multiple series, containing alphabets or numerals or special characters-hyphen or dash and slash symbolised as "-" and "/" respectively, and

3 Clause (i) omitted by Noti. No. 03/2019-Central Tax, dt. 29-01-2019 w.e.f. 01-02-2019. Earlier to omission it read as under:

¹ The words "and credit or debit notes referred to in section 34" omitted by Noti. No. 03/2019-Central Tax, dt. 29-01-2019 w.e.f. 01-02-2019.

Clause (c) omitted by Noti. No. 03/2019-Central Tax, dt. 29-01-2019 w.e.f. 01-02-2019. Earlier to omission it read as under:

[&]quot;(c) nature of the document;"

[&]quot;(i) value of taxable supply of goods or services, rate of tax and the amount of the tax credited or, as the case may be, debited to the recipient; and"

⁴ Sub-rule (1A) inserted by Noti. No. 03/2019-Central Tax, dt. 29-01-2019 w.e.f. 01-02-2019.

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

any combination thereof, unique for a financial year;

- (d) date of issue of the document;
- (e) name, address and Goods and Services Tax Identification Number or Unique Identity Number, if registered, of the recipient;
- (f) name and address of the recipient and the address of delivery, along with the name of State and its code, if such recipient is un-registered;
- (g) serial number(s) and date(s) of the corresponding tax invoice(s) or, as the case may be, bill(s) of supply;
- (h) value of taxable supply of goods or services, rate of tax and the amount of the tax credited or, as the case may be, debited to the recipient; and
- (i) signature or digital signature of the supplier or his authorised representative.]
- (2) Every registered person who has been granted registration with effect from a date earlier than the date of issuance of certificate of registration to him, may issue revised tax invoices in respect of taxable supplies effected during the period starting from the effective date of registration till the date of issuance of certificate of registration:

Provided that the registered person may issue a consolidated revised tax invoice in respect of all taxable supplies made to a recipient who is not registered under the Act during such period:

Provided further that in case of inter-State supplies, where the value of a supply does not exceed two lakh and fifty thousand rupees, a consolidated revised invoice may be issued separately in respect of all the recipients located in a State, who are not registered under the Act.

(3) Any invoice or debit note issued in pursuance of any tax payable in accordance with the provisions of section 74 or section 129 or section 130 shall prominently contain the words "INPUT TAX CREDIT NOT ADMISSIBLE".

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 53 : पुनरीक्षित का बीजक और प्रत्यय या नामे टिप्पण

- (1) धारा 31 में निर्दिष्ट पुनरीक्षित कर बीजक और ¹[......] में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :
 - (क) "पुनरीक्षित बीजक" शब्द, जहां लागू होता है वहां उसके स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जाएगा;
 - (ख) प्रदायकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर;
 - (刊) ²[.....]
 - (घ) एक सतत क्रम संख्या, जिसमें एक या बहुल श्रृखंलाओं में 16 से अधिक करैक्टर नहीं होंगे, जिसमें वर्णमाला या अंकों या विशेष चिन्ह—हाइफन या डैस और स्लैस अंतर्विष्ट होंगे, जिन्हें क्रमशः "—" और "/" के रूप में और उनके किसी संयोजन के रूप में किसी वित्त वर्ष के लिए विशिष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा;
 - (ड.) दस्तावेज जारी करने की तारीख;
 - (च) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर या विशिष्ट पहचान नंबर, यदि रजिस्ट्रीकृत है;
 - (छ) प्राप्तिकर्ता का नाम और पता तथा राज्य और उसके कूट सहित परिदान का पता, यदि ऐसा प्राप्तिकर्ता रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो;
 - (ज) यथारिथति, तत्स्थानी कर बीजक या प्रदाय के बिल की क्रम संख्या;
 - (닭) ³[.....]
 - (স) प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर।
- 4[(1क) धारा 34 में निर्दिष्ट प्रत्यय या नामे टिप्पण में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होगी, अर्थात् :
 - (क) प्रदायकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवा कर पहचान नंबर;
 - (ख) दस्तावेज की प्रकृति;

। अधिसूचना क्रमांक 3 / 2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा ''धारा 34 में निर्दिष्ट प्रत्यय या नामे टिप्पण'' विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)।

3 अधिसूचना क्रमांक 3/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा खंड (झ) विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था:

4 अधिसूचना क्रमांक 3/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा उप—नियम (1क) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)।

² अधिसूचना क्रमांक 3/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा खंड (ग) विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :

[&]quot;(ग) दस्तावेज की प्रकृति;"

[&]quot;(झ) कराधेय मालों या सेवाओं का मूल्य, कर की दर तथा यथास्थिति, प्रत्यय किए गए या प्राप्तिकर्ता के नामे डाले गए कर की रकम; और"

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

- (ग) एक सतत् क्रम संख्या, जिसमें एक या बहुल श्रृंखलाओं में सोलह से अधिक करेक्टर नहीं होंगे, जिसमें वर्णमाला या अंकों या विशेष चिन्ह— हाइफन या डैस और स्लैस अंतर्विष्ट होंगे, जिन्हें क्रमशः "—" और "/" के रूप में और उनके किसी संयोजन के रूप में किसी वित्त वर्ष के लिए विशिष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा ;
- (घ) दस्तावेज जारी करने की तारीख ;
- (ड.) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर या विशिष्ट पहचान नंबर, यदि रजिस्ट्रीकृत है;
- (च) प्राप्तिकर्ता का नाम और पता तथा राज्य और उसके कूट सहित परिदान का पता, यदि ऐसा प्राप्तिकर्ता रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो ;
- (छ) यथास्थिति, तत्स्थानी कर बीजक या प्रदाय के बिल या प्रदाय की क्रम संख्या;
- (ज) कराधेय मालों या सेवाओं का मूल्य, कर की दर तथा यथास्थिति प्रत्यय किए गए या प्राप्तिकर्ता के नामे डाले गए कर की रकम; और
- (झ) प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर।]
- (2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसे उसे जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की तारीख से पूर्व किसी तारीख से रजिस्ट्रीकृत अनुदत्त किया गया है, वह रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख से प्रभावी होने वाली कालाविध के दौरान की गई कराधेय आप्रदाययों के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख तक पुनरीक्षित कर बीजक जारी कर सकेगा:

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी प्राप्तिकर्ता को, जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, को ऐसी अवधि के दौरान की गई सभी कराधेय आप्रदाययों के संबंध में एकीकृत पुनरीक्षित कर बीजक जारी कर सकेगा:

परन्तु यह और कि अंतराज्य आप्रदाययों की दशा में, जहां प्रदाय का मूल्य दो लाख पचास हजार रूपए से अधिक नहीं है, एकीकृत पुनरीक्षित बीजक उस राज्य में स्थित सभी प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में, जो अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत नहीं है पृथक् रूप से जारी किया जा सकेगा।

(3) धारा 74 या धारा 129 या धारा 130 के उपबंधों के अनुसार संदेय किसी कर के लिए जारी कोई बीजक या नामे टिप्पण में स्पष्ट रूप से "**इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञेय नहीं**" शब्द अंतर्विष्ट होंगे।